न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास एल.एन.सोनी आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 22/2018/अपील/आर्म्स एक्ट/झालावाड

दायरा दिनांकः 6.8.2018

अन्तर्गत धाराः 18 आर्म्स एक्ट,1959

**उनवान**

ओमप्रकाश गुप्ता आत्मज बजरंगलाल गुप्ता जाति महाजन निवासी सुमेरगंजमण्डी जिला बूंदी–राज0।

...अपीलार्थी

**बनाम**

राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर एव जिला मजिस्ट्रेट, बूंदी

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री सुरेश शर्मा अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

**निर्णय**

दिनांक 3.6.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित आदेश कमांक 221 दिनांक 20.6.2018 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी को स्वीकृत शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 1220/97 एक 32 बोर रिवाल्वर व 12 बोर गन श्री आशीष गुप्ता द्वारा प्रस्तुत परिवार के संबध मे पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा थानाधिकारी इन्द्रगढ से जांच कराई गई जिसके अनुसार परिवाद मे वर्णित घटनाकम के संबध मे मुक0 सं0 220/17 धारा 306, 504, 34 आईपीसी मे दर्ज होकर अनुसंधान जारी होने व रिवाल्वर थाने मे जप्त है तथा परिवाद मे आपस मे बटवारे से संबधित केस चल रहा है जिसके चलते हथियार के दुरूपयोग करने जैसी घटना से इंकार नही किया जाना वर्णित करते हुये पारिवारिक विवाद का निपटारा होने तक शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त करने की अनुशंसा किये जाने पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेट बूंदी द्वारा द्वारा श्री ओमप्रकाश को जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 1220/97 जो दिनांक 31.12.2018 तक नवीनीकृत है को आदेश कमांक 221 दिनांक 20.6.2018 से निरस्त कर अनुज्ञापत्र मे दर्ज शस्त्र थाना मे जमा कराने का आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपील इस न्यायालय मे पेश कर निवेदन किया कि अपीलार्थी के विरूद्ध एफआईआर झूठे तथ्यों के आधार पर दर्ज कराई गई है। अनुसंधान अधिकारी ने घटना के दौरान गाली गलौंच होना पाया है। पारिवारिक विवाद नही है ना ही दोनो के मध्य कोई मुकदमा लम्बित है। परिवादी आशीष गुप्ता आपराधिक किस्म का व्यक्ति है धारा 107–151 मे एसडीओं लाखेरी द्वारा पाबन्द किया गया है। हथियार के दुरूपयोग से संबधित कोई प्रकरण दर्ज नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख/तथ्यों पर गौर किये बिना मनमाने तरीके से कयासों के आधार पर कानून की अपने तरीके से व्याख्या करते हुये आलौच्य निर्णय पारित किया है जो पूर्णतया त्रुटिपूर्ण एवं अवैध है। उक्त

कोटा संभाग, कोटा

तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील आदेश निरस्त कर अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे दिनांक 8.4.2019 को बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि श्री आशीष गुप्ता द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संबध मे पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा थानाधिकारी इन्द्रगढ से जांच कराई गई जिसके अनुसार परिवाद मे वर्णित घटनाक्रम के संबध मे मुक0 सं0 220/17 धारा 306, 504, 34 आईपीसी मे दर्ज की गई। अपीलांट के विरूद्ध एफआईआर झूठे तथ्यों के आधार पर दर्ज की गई है। अनुसंधान अधिकारी ने घटना के दौरान गाली गलौंच होना पाया है। उक्त प्रकरण मे दिनांक 16.5.19 को माननीय न्यायालय से एफ.आर. स्वीकार की जा चुकी है। पारिवारिक विवाद नही है ना ही दोनो के मध्य कोई मुकदमा लम्बित है। हथियार के दुरूपयोग से संबधित कोई प्रकरण दर्ज नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख/तथ्यों पर गौर किये बिना मनमाने तरीके से कयासों के आधार पर कानून की अपने तरीके से व्याख्या करते हुये आलौच्य निर्णय पारित किया है जो पूर्णतया त्रुटिपूर्ण एवं अवैध है। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे जाहिर किया कि पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट दिनांक 7.5.2018 के अनुसार परिवादी आशीष गुप्ता द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संदर्भ मे थाना इन्द्रगढ मे मुक0 सं0 220/17 आईपीसी मे दर्ज होने व परिवादी तथा अपीलार्थी के परिवार मे आपस मे बटवारे से संबधित केस चल रहा जिसके चलते हथियार के दुरूपयोग की संभावना को देखते हुये पारिवारिक विवाद के निपटारे तक शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त करने की अनुशंषा के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य आदेश से अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित है अतः अपील खारिज की जाने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट दिनांक 7.5.2018 के अनुसार परिवादी आशीष गुप्ता के परिवाद मे वर्णित तथ्यों के संदर्भ मे थाना इन्द्रगढ मे मुक0 सं0 220/17 आईपीसी मे दर्ज होने व परिवादी तथा अपीलार्थी के परिवार मे आपस मे बंटवारे से संबधित केस चल रहा है जिसके चलते हथियार के दुरूपयोग की संभावना को देखते हुये पारिवारिक विवाद के निपटारे तक शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त करने की अनुशंषा के मध्यनजर अपीलार्थी द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 1220/97 को अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील कमांक 221 दिनांक 20.6.2018 से निरस्त किया है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलार्थी का मुख्य तर्क है कि आशीष गुप्ता द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संबध मे पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा थानाधिकारी इन्द्रगढ से जांच कराई गई जिसके अनुसार परिवाद मे वर्णित घटनाक्रम के संबध मे मुक0 सं0 220/17 धारा 306, 504, 34 आईपीसी मे दर्ज किया गया। अपीलांट के विरूद्ध एफआईआर झूठे तथ्यों के आधार पर दर्ज की गई है। अनुसंधान अधिकारी ने घटना के दौरान गाली गलौंच होना पाया है। उक्त प्रकरण मे दिनांक 16.5.19 को माननीय न्यायालय से एफ.आर. स्वीकार की जा चुकी है। पारिवारिक विवाद नही है ना ही दोनो के मध्य कोई मुकदमा लम्बित है। हथियार के दुरूपयोग से संबधित

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

कोई प्रकरण दर्ज नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख/तथ्यों पर गौर किये बिना मनमाने तरीके से कयासों के आधार पर कानून की अपने तरीके से व्याख्या करते हुये आलौच्य निर्णय पारित किया है जो पूर्णतया त्रुटिपूर्ण एवं अवैध है। अपीलांट के तर्क के संबध मे पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का अवलोकन किया गया। पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट दिनांक 7.5.2018 के अनुसार परिवादी आशीष गुप्ता द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संदर्भ मे थाना इन्द्रगढ मे मुक0 सं0 220/17 आईपीसी मे दर्ज होने व परिवादी तथा अपीलार्थी के परिवार मे आपस मे बटवारे से संबधित केस चल रहा है जिसके चलते हथियार के दुरूपयोग की संभावना को देखते हुये पारिवारिक विवाद के निपटारे तक शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त करने की अनुशंषा के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य आदेश से अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया है। अपीलांट द्वारा प्रश्नगत अपील प्रकरण मे माननीय न्यायालय न्यायिक मजि0 इन्द्रगढ द्वारा प्रकरण एफआर 20/18 बउनवान आशीष बनाम ओमप्रकाश वगे0 की आदेशिका दिनांक 16.5.2019 की प्रमाणित पेश की गई जिसके अनुसार प्रकरण मे एफ.आर. स्वीकृत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे ऐसे अन्य कोई आधार अभिलेख/साक्ष्य सबूत उपलब्ध नही है जिससे अपीलार्थी के परिवार मे आपसी बटवारे से संबधित केस चलना प्रकट होता हो तथा जिसके चलते हथियार के दुरूपयोग की संभावना हो। जबकि प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट का कथन रहा है कि कोई पारिवारिक विवाद नही है ना ही दोनो के मध्य कोई मुकदमा लम्बित है। हथियार के दुरूपयोग से संबधित कोई प्रकरण दर्ज नही है। ऐसी स्थिति मे समुचित आधार अभिलेख के अभाव मे अधीनस्थ न्यायालय के आलौच्य आदेश क्रमांक 221 दिनांक 20.6.2018 को न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। फलत् उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश क्रमांक 221 दिनाक 20.6.2018 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है कि उक्त विवेचित तथ्यों के परिपेक्ष्य मे पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट मे वर्णित पारिवारिक बंटवारे से संबधित केस के संबध मे एंव आपराधिक गतिविधियों के संबध मे वर्तमान वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त कर तथ्यों का समुचित परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत एवं स्पीकिंग आदेश पारित करें।

6 निर्णय आज दिनांक 3.6.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

( एल. एन. सोनी )
समागीय आयुक्त
कोटा